कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा–राजस्थान

क्रमांक : स्था0 / 24 / 10 दिनांक : 29.02.2024

कार्यालय आदेश

मैं डॉ. अंजुम खान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा एतदद्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 15(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देती हूँ कि माह **मार्च, 2024** में राजकीय अवकाश दिवसों पर रिमाण्ड व अन्य आवश्यक कार्य अधोलिखित सूची अनुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त रिमाण्ड अधिकारी द्वारा विधि अनुसार मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने एवं कस्टोडियल डेथ की मजिस्ट्रेट जाँच के कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे।

माह **मार्च, 2024**

क्र. सं.	दिनांक एवं अवकाश		रिमाण्ड अधिकारी	सम्पर्क नंबर
1	03.03.2024 08.03.2024	रविवार महा शिवरात्रि	सुश्री भारती उपाध्याय, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय तलवाड़ा	श्री विश्वेश्वर रीडर 9602715624
2	09.03.2024 10.03.2024	द्वितीय शनिवार रविवार	सुश्री रीतिका श्रोती, ए.जे.एम. बांसवाड़ा	श्री संदीप रीडर 9413454702
3	17.03.2024	रविवार	श्री पूरन सिंह मीना, ए.सी.जे.एम. बांसवाड़ा	श्री दिनेश बैरागी 7339711072
4	23.03.2024 24.03.2024 25.03.2024	चतुर्थ शनिवार होली होली	श्री नवीन मीणा, जे.एम बागीदौरा	श्री पवन रीडर 8209968582
5	29.03.2024	गुड फ्राईडे	सुश्री ललीता सोनी, जे.एम गढ़ी	श्री जयेश रीडर 9413018180

नोट–:–

1. रिमाण्ड **ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी** एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्ही परिस्थितियों में **आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर** उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

2. उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का **स्थानान्तरण** हो जाता है **अथवा** पीठासीन अपरिहार्य राजकार्य से यथा **ट्रेनिंग** आदि में मुख्यालय से बाहर जाने पर **अथवा** किसी कार्य दिवस पर तात्कालिक रूप से **अवकाश घोषित** कर दिए जाने की अवस्था में उस दिवस से पूर्ववत अवकाश दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

3. प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाडा से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में इस कार्यालय को सुझाव देते हुए ही मुख्यालय छोड सकेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बॉसवाडा (राज.)

क्रमांक : स्था0 / 24 / 167–168 दिनांक : 29.02.2024

प्रतिलिपि :–

1– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बॉसवाड़ा को सूचनार्थ।

2– श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बॉसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि बॉसवाड़ा जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों, पुलिस थानों को इस आदेश से सूचित करावें ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को जरिए इंटरनेट माध्यम प्रेषित है:– 169

1– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा / घाटोल / कुशलगढ़ / बागीदौरा

2– न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम वर्ग बॉसवाड़ा / गढ़ी / बागीदौरा / आनन्दपुरी

3– अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम वर्ग बॉसवाड़ा

4– न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गढ़ी / तलवाड़ा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बॉसवाड़ा (राज.)